प्रेस नोट

दिनांक- 24-11-2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटनाओं में संलिप्त 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 03 अदद भैंस, ₹4,100 नकद व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही

दिनांक 11.11.2026 को थाना कर्नलगंज व परसपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर छितौनी बॉर्डर के पास गोण्डा-जरवल मुख्य मार्ग से ग्राम कोनहटा की ओर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राका पुत्र राजकुमार महावत एवं सलमान पुत्र राकेश महावत निवासीगण मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल ₹4,100 नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24/25.10.2026 की रात्रि में थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घरकुइयां में वादिनी निर्मला पत्नी राजेन्द्र कश्यप एवं गांव के ही माधवराज यादव पुत्र नकछेद यादव की एक-एक भैंस अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के बाहर से पिकअप वाहन पर लादकर चोरी कर ली गयी थी। उक्त घटना के संबंध में थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0 625/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि में भैंसों की चोरी करते हैं तथा चोरी की गयी भैंसों को पिकअप वाहन में लादकर बाजार में बेच देते हैं। बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्तों ने दिनांक 24/25.10.2026 की रात्रि में ग्राम घरकुइयां से दो भैंस चोरी करने तथा दिनांक 22.10.2026 की रात्रि में ग्राम शाहपुर, थाना परसपुर से दो भैंस चोरी करने की घटना में शामिल होना बताया। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि ग्राम शाहपुर से चोरी की गयी भैंसों में से एक भैंस पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी थी, जबकि दूसरी भैंस को बेच दिया गया था। बिक्री से प्राप्त धनराशि में उनके हिस्से में आये शेष ₹4,100 अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राका पुत्र राजकुमार महावत निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर
2. सलमान पुत्र राकेश महावत निवासी मोहद्दीपुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 625/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 461/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- ₹4,100/- नकद (चोरी की भैंस की बिक्री से प्राप्त धनराशि)।
- एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर, रंग काला, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP41AK9396।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अंकित सिंह, चौकी प्रभारी चचरी, थाना कर्नलगंज।
2. उ0नि0 गौरव सिंह, चौकी प्रभारी भंभुवा।
3. उ0नि0 अजय कुमार यादव।
4. म0उ0नि0 निशा निषाद, चौकी प्रभारी शाहपुर, थाना परसपुर।
5. का0 प्रखर।
6. का0 अनिल कुमार।
7. का0 अजीत सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक- 24-11-2026

पशु चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 03 भैंसें)02 भैंस व 01 पड़ियाएवं घटना में (प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही/ घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23/24.11.2026 की रात्रि थाना मोतीगंज पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मोतीगंज एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के कुछ सदस्य मोटरसाइकिल से गोविन्दपारा के आसपास रेकी कर रहे हैं। सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गोविन्दपारा मोड़ के पास घेराबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोककर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों की निशानदेही पर थाना को0 नगर क्षेत्र के बस्ती इमामबाड़ा में छिपाकर बांधी गई चोरी की 03 भैंसें (02 भैंस व 01 पड़िया) बरामद की गईं। पुलिस टीम द्वारा मौके से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यावाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे सभी एक गिरोह बनाकर पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य दिन के समय गांवों में घूमकर ऐसे स्थानों की रेकी करते थे, जहां लोग अपने दुधारू पशुओं को घरों के बाहर बांधकर रखते थे। इसके बाद रात्रि में मौका पाकर भैंस एवं अन्य पशुओं को चोरी कर सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखते थे। पर्याप्त संख्या में पशु एकत्र हो जाने पर उन्हें दूर-दराज के पशु बाजारों में ले जाकर बेच देते थे तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में दिनांक 04.11.2026 को ग्राम दर्जीकुआं दौलतपुर ब्राह्मणपुरवा से एक पड़िया व एक पड़वा, दिनांक 15.11.2026 की रात्रि ग्राम कोयली जंगल थाना को0 देहात से एक भैंस व एक पड़िया तथा दिनांक 21/22.11.2026 की रात्रि ग्राम बिरवा बभनी से एक भैंस व एक पड़िया चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास निवासी बस्ती पटेलनगर, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा
2. जुबेर पुत्र हैदर अली निवासी पटेलनगर, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा
3. शालू पुत्र निसार अहमद निवासी इमामबाड़ा, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा

अनावृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 266/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 1047/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 1080/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की 03 राशि भैंसें (02 भैंस व 01 पड़िया)।
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास

1. मु0अ0सं0 232/2019 धारा 323/325/504 भादवि, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 819/2024 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 739/2025 धारा 109(1)/115(2)/131/190/191(2)/191(3) बीएनएस, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 1037/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

2. जुबेर पुत्र हैदर अली

1. मु0अ0सं0 0564/2023 धारा 323/504/506 भादवि, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

3. शालू पुत्र निसार अहमद

1. मु0अ0सं0 0285/2023 धारा 323/504/506 भादवि, थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर मय टीम, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. प्रभारी एसओजी आशुतोष सिंह मय टीम।
3. प्रभारी सर्विलांस मनीष कुमार मय टीम।
4. उ0नि0 सुमित कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कहौबा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 24.11.2026

यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत 30 मूक-बधिर वाहन चालकों को वितरित किए गए हेलमेट, यातायात जागरूकता रैली निकालकर आमजन को किया गया जागरूक-

यातायात माह नवंबर-2026 के अंतर्गत आज दिनांक 24.11.2026 को जनपद गोण्डा में क्षेत्राधिकारी यातायात एवं प्रभारी यातायात द्वारा अंबेडकर चौराहे पर 30 मूक-बधिर वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए तथा उन्हें प्रतीक चिह्न प्रदान कर यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। इसके उपरांत यातायात जागरूकता रैली अंबेडकर चौराहे से गांधी पार्क तक निकाली गई। गांधी पार्क में आमजन को एकत्रित कर मूक-बधिर वाहन चालकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले इस प्रतीक चिह्न के बारे में भी अवगत कराया गया,ताकि मूक-बधिर वाहन चालकों को रास्ते में आमजन से किसी प्रकार की असुविधा न हो। रैली के दौरान आमजन एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पंपलेट वितरित किए गए तथा हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया।

गोण्डा पुलिस की अपील—

गोण्डा पुलिस आमजन एवं समस्त वाहन चालक दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें, यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क पर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 24.11.2026

थाना को0नगर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही–
थाना कोतवाली नगर पुलिस मु0अ0सं0 1073/2026 धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त संजय गौतम पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम इमरती विशेन,थाना कोतवाली नगर,जनपद गोण्डा को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.011.2026 को वादी सत्यनरायन पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम आबिद अली पुरवा, मौजा फिरोजपुर तरहर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 03.04.2026 को संजय गौतम पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम इमरती विशेन, थाना कोतवाली नगर के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति संजय गौतम, सास, ससुर एवं देवर शनि व ऋषि द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की जंजीर की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 21.11.2026 को वादी को सूचना मिली कि उनकी पुत्री की ससुराल वालों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 24.11.2026 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दहेज हत्याभियुक्त संजय गौतम पुत्र अमरनाथ को उसके घर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
1- संजय गौतम पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम इमरती विशेन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
1- मु0अ0सं0 1073/2026 धारा 85,80(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–
1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक अशोक कुमार जायसवाल।
2. मुख्य आरक्षी अभय प्रताप यादव।
3. आरक्षी उज्जवल सिंह।
4. महिला आरक्षी समरीन जहाँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।